# राजस्थान सरकार

# वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
# 2017

सत्यमेव जयते

## जन अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर

**RPG Room No. 8129, SSO Bhawan 1st Floor. SECRETARIAT JAIPUR.**
**Tele Phone No. 0141- 5116221**
**(E-mail Add. rajasthan.sampark.rpg@gmail.com)**

## राजस्थान सरकार
## जन अभियोग निराकरण विभाग

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं जन साधारण के परिवादों का राज्य स्तर पर निराकरण करने की दृष्टि से इस विभाग की स्थापना जुलाई, 1971 में की गई थी। विभाग के प्रशासनिक मुख्य अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को रखा गया है, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं जन अभियोग निराकरण विभाग के पदनाम से जाना जाता है।

**1. <u>जन अभियोग निराकरण के लिए वर्तमान व्यवस्था</u>** :–

विभाग की अधिकारिता अधिसूचना संख्याः एफ–2(20)जीए/ए/71 दिनांक 26.07.1971, 24.09.1971 तथा 13.03.1972 द्वारा परिभाषित की गई है जिन के अनुसार निम्नलिखित कार्य प्रमुख हैंः–

1. आम जनता/जन साधारण से प्राप्त होने वाली जन समस्याए जैसे सफाई, पानी, बिजली की सुविधायें, अतिक्रमण आदि इस विभाग की परिधि में आते हैं।
2. सरकारी कर्मचारियों की समस्याए जैसे :–
   - क सरकारी कर्मचारियों के स्थायीकरण के मामले जिन्हें 3 वर्ष से अधिक समय से स्थायी नहीं किया गया हो।
   - ख पेंशन तथा उपादान (ग्रेच्युटी) के मामले।
   - ग तीन माह से अधिक समय से वेतन नहीं मिलना।
   - ध सेवा निवृत, मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को बीमा की रकम नहीं मिलना।
   - ड़ सेवा से निलम्बन के मामले, जहां कि कोई सरकारी कर्मचारी दो वर्ष से अधिक समय से निलम्बित चल रहा हो।

**2.** राज्य से संबधित शिकायतें, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त होने वाली शिकायतें भी इस विभाग में प्राप्त होती हैं, जिसका निस्तारण इस विभाग द्वारा किया जाता है।

3. शिकायतों के वे मामले जिनमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निपटारे में देरी की गई हो या ऐसे मामलों जिन पर विभागों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया हो, पर भी विचार किया जाता है। इनके अतिरिक्त नगर निगम/परिषद/पालिका (मण्डल) एवं नगर विकास न्यास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विधवायें, विशेष योग्यजन तथा राज्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में देरी, बकाया वेतन का भुगतान, यात्रा भत्ता, वार्षिक तरक्की, अमानत राशि की वापसी, चिकित्सा भत्ता, निर्वाह भत्ता, बीमा सम्बन्धी कार्य आदि का निस्तारण परीक्षणोंपरान्त किया जाता है।
4. महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा आयोजित जन सुनवाई में उन्हें प्राप्त अभ्यावेदनों को निराकरणार्थ जन अभियोग निराकरण विभाग को भिजवाया जाता है। इस विभाग द्वारा राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्यवाही की जाती है, ताकि उनका निराकरण हो सके जिससे राज्य सरकार के प्रति जनता का विश्वास कायम रहें।
5. यह विभाग कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं, पूर्वोदाहरणों इत्यादि में परिवर्तन की सिफारिश करने हेतु अधिकृत है जिससे कार्य का निपटारा शीघ्र हो सके या वे अभियोगों के निराकरण में सहायक हो सके। विभिन्न सरकारी एजेन्सियों द्वारा किये गये विनिश्चयों में से अभिकथित अनौचित्य के सुस्पष्ट मामलों को भी जन अभियोग निराकरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश पर अथवा जब कभी भी मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री या मुख्य सचिव द्वारा विशेष रूप से चाहा जाये, ऐसे प्रकरण भी इस विभाग द्वारा देखे जाते है।
6. इस विभाग में दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक की अवधि में 28056 पत्रादि प्राप्त हुए जिन्हें राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर विभागों को कार्यवाही हेतु ऑन लाईन दर्ज करवाया गया। विभाग द्वारा 25734 परिवादों/पत्रों को मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभागों को भिजवाया गया तथा 2120 परिवादों/पत्रों पर कार्यवाही की गई। विभाग में कार्यवाही हेतु 202 नई पत्रावलियां खोली जाकर सम्बन्धित शासन सचिवों / विभागाध्यक्षों से तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गई है। दिनांक 31.12.2016 को विभाग में 144 परिवाद लम्बित थे, 202 नई खोली गई पत्रावलियों को मिलाकर कुल 346 परिवादों में से 165 परिवादों का पूर्णरूपेण

निस्तारण कराकर बंद कराये गये। दिनांक 31.12.2017 को 181 परिवाद शेष रहे। (विवरण परिशिष्ट – I में उपलब्ध)

**7. <u>जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियां</u>**

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जन समस्याओं के निवारण हेतु प्रत्येक जिले में एक जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति स्थापित की हुई है। विभिन्न जिलों में इन कार्यरत जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों द्वारा दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 के दौरान कुल 335 बैठकें आयोजित की गई। इस अवधि में विभिन्न जिलों में समितियों द्वारा 1646 नये प्रकरण दर्ज किये गये जिससे पूर्व में बकाया 408 प्रकरणों को मिलाकर कुल 2054 प्रकरण हो गये जिनमें से समितियों द्वारा 1712 प्रकरणों का निराकरण किया गया। (विवरण परिशिष्ट – II में उपलब्ध)

**8. <u>राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्रकरणों/परिवादों का ऑन लाईन पंजीयन व निस्तारण</u>**

माननीय मुख्य मंत्री जी के परिवर्तित बजट भाषण वर्ष 2014–15 (पैरा 190) में की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सूचना प्रौद्यौगिक एवं संचार विभाग द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल को कार्यान्वित एवं क्रियाशील किया गया है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवादी दूरभाष पर, मेल द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर अपना परिवाद दर्ज करवा सकता है और कार्यवाही की प्रगति भी देख सकता है। इस हेतु परिवादी को एक यूनिक पंजीयन संख्या दी जाती है जिससे वे अपने परिवाद की वर्तमान स्थिति ऑन लाईन देख सकते है दिनांक 31–12–2017 तक राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर कुल 791863 परिवाद दर्ज हो चुके है जिनमें से 542121 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है तथा 249742 परिवाद लम्बित है। इन लम्बित परिवादों पर संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है एवं प्रधानमंत्री कार्यालय से 32279 प्रकरण प्राप्त हुए प्राप्त प्रकरणों में से 29626 प्रकरण सम्बन्धित विभागों को अग्रेषित किये गये है। जिनमें से 22000 प्रकरणों को निस्तारण हो चुका है व 7626 प्रकरण लम्बित है। (विवरण परिशिष्ट – III में उपलब्ध)

9. **राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 :–**

(1) माननीय मुख्य सचिव महोदय के आदेश से प्रशासनिक सुधार समन्वय विभाग के क्रमांक प.7(1)प्र.सु/सम/अनु0–1/2016 दिनांक 14.09.2017 के द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 का कार्य विभाग में सम्पादित किया जा रहा है। राज्य में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 दिनांक 14.11.2011 में लागू किया गया, जिसमें प्रथमतः 15 विभागों की 108 सेवाऐ अधिसूचित की गई। अधिनियम का उद्देश्य लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के नागरिकों को उनके दैनिक कार्य से सम्बन्धित सेवाऐं निर्धारित समय सीमा के भीतरप्रदान करने की गारंटी देना है। समय समय पर विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार पूर्व में सम्मलित विभागों की नई सेवाओं तथा नवीन विभागों की नई सेवाओं को सम्मलित किया गया। वर्तमान में 25 विभागें की 221 सेवाऐं राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत प्रदान की जा रही है। (विवरण परिशिष्ट – IV में उपलब्ध) उक्त अधिनियम के तहत 01.01. 2017 से 31.12.2017 की अवधि में जिला कलक्टरों से प्राप्त सूचनानुसार प्राप्त लगभग 6548000 आवेदन पत्रों में से सभी आवेदन पत्र निस्तारित कर दिये गये है।

(2) राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 राज्य में 1 अगस्त 2012 से लागू किया गया है। अधिनियम में विभिन्न स्तरों पर सुनवाई अधिकारी, अपील अधिकारी नियत कर, शिकायतों पर 15 दिवस में सुनवाई की समय सीमा निर्धारित की गई है। समयावधि में सुनवाई नही होने पर इस अधिनियम में भी 2 अपीलों का अवसर सुनवाई हेतु प्रदान किया गया है। आमजन की सहायता एवं सुविधा के लिए सभी प्रकार के आवेदन एक ही स्थान पर जमा करने की व्यवस्था के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एकल खिडकी के रूप में **"लोक सुनवाई सहायता केन्द्र"** स्थापित कराये गये है। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012

राज्य में दिनांक 01.08.2012 से लागू किया गया। अधिनियम लागू होने की दिनांक से माह दिसम्बर, 2017 तक अधिनियम के तहत जिलों में स्थित विभिन्न विभागों में प्राप्त एवं निस्तारित आवेदन पत्रों का पाक्षिक विवरण जिला कलेक्टरों से प्राप्त कर विवरणों की समीक्षा की गई एवं लंबित प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये।
उक्त अधिनियम के तहत दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 की अवधि में जिला कलक्टरों से प्राप्त सूचनानुसार प्राप्त लगभग 35 हजार आवेदन पत्रों में से सभी आवेदन पत्र निस्तारित कर दिये गये हैं।

राज्य सरकार के उक्त दोनों अधिनियमों के क्रियान्वयन, परिवेदनाओं के निस्तारण, जन सुनवाई कार्यक्रमों से संबंधित आवेदनों की मॉनिटरिंग एवं कार्रवाई के लिए संबंधित जिला कलेक्टर के प्रशासनिक नियंत्रण में **''सहायक निदेशक, लोक सेवाएं''** कार्यालय स्थापित किये गये हैं। इन कार्यालयों में प्रत्येक जिले में एक सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, दो सूचना सहायक, एक लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद बजट मद 2053–00–800–(03)–सुशासन व्यवस्था में सृजित किये गये हैं। इन पदों पर कार्यरत् कार्मिकों के वेतन एवं कार्यालय व्यय आदि के लिए वर्ष 2016–17 में कुल राशि 21945.72 हजार का व्यय हुआ है।

**********

परिशिष्ट –I

# राजस्थान सरकार
# जन अभियोग निराकरण विभाग

## दिनांक 01.01.2017 से दिनांक 31.12.2017 तक सम्पादित कार्यो का वार्षिक विवरण

| वर्ष के आरम्भ में लम्बित पत्रादि की संख्या | वर्ष में प्राप्त पत्रादि की संख्या | योग | वर्ष में निस्तारित किये गये पत्रों/परिवादों की संख्या | | | वर्ष के अन्त में लम्बित पत्रादि की संख्या | वर्ष के आरम्भ में लंबित पत्रावलियों/ परिवादों की संख्या | कुल योग कालम (6 व 8) | वर्ष में निस्तारित पत्रावलियों / परिवादों की संख्या | वर्ष समाप्ति पर लम्बित पत्रावलियों/ परिवादों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | राज0 स0 पो0 पर ऑन लाईन कराकर मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये पत्रो की संख्या | विभागीय पत्रावलियों पर कार्यवाही किये गये पत्रों की संख्या | पत्रों की संख्या जिन पर नई पत्रावलियां खोली गई | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | 28056 | 28056 | 25734 | 2120 | 202 | — | 144 | 346 | 165 | 181 |

परिशिष्ट – II

## जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों द्वारा सम्पादित कार्यो का विवरण (01.01.2017 से 31.12.2017)

| क्र. स. | जिले का नाम | बैठकों की संख्या | पूर्व बकाया अभियोगों की संख्या | प्राप्त अभियोगों की संख्या | कुल योग कालम (4 व 5) | निस्तारित अभियोगों की संख्या | शेष अभियोगों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | अजमेर | **9** | **5** | **73** | **78** | **69** | **9** |
| 2 | अलवर | **9** | **6** | **26** | **32** | **23** | **9** |
| 3 | बांसवाड़ा | **11** | **10** | **13** | **23** | **17** | **6** |
| 4 | बारां | **11** | **8** | **8** | **16** | **14** | **2** |
| 5 | बाड़मेर | **11** | **10** | **16** | **26** | **17** | **9** |
| 6 | भरतपुर | **10** | **13** | **160** | **173** | **161** | **12** |
| 7 | भीलवाड़ा | **11** | **6** | **69** | **75** | **68** | **7** |
| 8 | बीकानेर | **10** | **7** | **44** | **51** | **32** | **19** |
| 9 | बून्दी | **11** | **17** | **35** | **52** | **36** | **16** |
| 10 | चित्तौड़गढ़ | **11** | **10** | **15** | **25** | **11** | **14** |
| 11 | चूरू | **8** | **15** | **17** | **32** | **28** | **4** |
| 12 | दौसा | **11** | **16** | **10** | **26** | **16** | **10** |
| 13 | धौलपुर | **9** | **11** | **136** | **147** | **128** | **19** |
| 14 | डूंगरपुर | **10** | **8** | **1** | **9** | **5** | **4** |
| 15 | हनुमानगढ़ | **11** | **2** | **29** | **31** | **20** | **11** |
| 16 | जयपुर | **8** | **17** | **64** | **81** | **70** | **11** |
| 17 | जैसलमेर | **11** | **9** | **59** | **68** | **50** | **18** |
| 18 | जालोर | **12** | **14** | **28** | **42** | **40** | **2** |
| 19 | झालावाड़ | **11** | **15** | **33** | **48** | **33** | **15** |
| 20 | झुन्झुनू | **10** | **5** | **97** | **102** | **85** | **17** |
| 21 | जोधपुर | **9** | **48** | **80** | **128** | **115** | **13** |
| 22 | करौली | **8** | **34** | **70** | **104** | **94** | **10** |
| 23 | कोटा | **11** | **8** | **52** | **60** | **48** | **12** |
| 24 | नागौर | **11** | **10** | **73** | **83** | **74** | **9** |
| 25 | पाली | **9** | **11** | **96** | **107** | **98** | **9** |
| 26 | प्रतापगढ़ | **10** | **4** | **10** | **14** | **7** | **7** |
| 27 | राजसमन्द | **11** | **11** | **25** | **36** | **32** | **4** |
| 28 | सवाई माधोपुर | **11** | **16** | **16** | **32** | **22** | **10** |
| 29 | सीकर | **11** | **10** | **80** | **90** | **79** | **11** |
| 30 | सिरोही | **10** | **4** | **10** | **14** | **12** | **2** |
| 31 | श्रीगंगानगर | **11** | **21** | **90** | **111** | **100** | **11** |
| 32 | टौंक | **8** | **11** | **79** | **90** | **71** | **19** |
| 33 | उदयपुर | **10** | **16** | **32** | **84** | **37** | **11** |
| **योगः–** | | **335** | **408** | **1646** | **2054** | **1712** | **342** |

परिशिष्ट – III

# राजस्थान सरकार
# जन अभियोग निराकरण विभाग

## दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक ''राजस्थान सम्पर्क पोर्टल'' पर दर्ज परिवादों/प्रकरणों का विवरण

| क्र. सं. | विभाग | प्राप्त प्रकरणों की संख्या | निस्तारित प्रकरणों की संख्या | लम्बित प्रकरणों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | जिला कलेक्टर्स | 53413 | 52485 | 928 |
| 2 | विभागाध्यक्ष | 738450 | 489636 | 248814 |
| **कुलः–** | | **791863** | **542121** | **249742** |

परिशिष्ट – IV

# राजस्थान सरकार
# जन अभियोग निराकरण विभाग

## राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के 25 विभागों की 221 सेवाऐ की सूची।

| क्रंम संख्या | विभाग | सम्मिलित सेवाएं |
|---|---|---|
| 1 | राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग | 09 |
| 2 | जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | 07 |
| 3 | जल संसाधन<br>जल संसाधन 04<br>इन्दिरा गांधी नहर विभाग 31<br>एवं जल संसाधन विभाग | 35 |
| 4 | सार्वजनिक निर्माण विभाग | 06 |
| 5 | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | 06 |
| 6 | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | 12 |
| 7 | ऊर्जा विभाग | 05 |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग | 01 |
| 9 | गृह (पुलिस) विभाग | 04 |
| 10 | यातायात विभाग | 04 |
| 11 | वित्त (पेंशन, कोष एवं लेखा, पेंशनर्स कल्याण विभाग) | 08 |
| 12 | चिकित्सा शिक्षा | 02 |
| 13 | नगरीय विकास विभाग | 15 |
| 14 | राजस्थान आवासन मण्डल | 23 |
| 15 | स्वायत्त शासन/स्थानीय निकाय विभाग | 11 |
| 16 | अल्पसंख्यक विभाग | 02 |
| 17 | पंचायती राज विभाग | 02 |
| 18 | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | 01 |
| 19 | राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग | 13 |
| 20 | पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर | 1 |
| 21 | उद्योग विभाग | 3 |
| 22 | श्रम विभाग | 9 |
| 23 | कारखाना बायलर्स विभाग | 8 |
| 24 | सहकारिता विभाग | 4 |
| 25 | राजस्थान राज्य प्रदुषण नियन्त्रण मण्डल | 5 |
| | योग :– | 221 |

| क्रम संख्या | विभाग | सम्मिलित सेवाओं की संख्या | सम्मिलित सेवाएं |
|---|---|---|---|
| 1. | राजस्व एवं उपनिवेशन | 09 | 1. लैण्ड रिकॉर्ड की प्रतियां उपलब्ध करवाना। |
| | | | 2. समयबद्ध कृषि भूमि नामान्तकरण<br>3. पत्थर गढ़ी सीमा ज्ञान |
| | | | 4. गैर खातेदारी से खातेदारी सेवाएं |
| | | | 5. कनवरशन सेवाएं |
| | | | 6. जाति प्रमाण पत्र |
| | | | 7. मूल निवास प्रमाण पत्र |
| | | | 8. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र |
| | | | 9. हैसियत प्रमाण पत्र। |
| 2. | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | 07 | 1. हैडपम्प ठीक करवाना। |
| | | | 2. नये जल कनेक्शन उपलब्ध करवाना। |
| | | | 3. जल कनेक्शनों में जल सप्लाई खराबी को ठीक करवाना। |
| | | | 4. पानी के बिल को ठीक करवाना। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 5. पानी के मीटर बदलवाना। |
| | | | 6. (अ)प्रतिभूति निक्षेप / सिक्योरिटी डिपोजिट लौटाने के प्रकरण।<br>(ब) धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी,) लौटाने के प्रकरण। |
| | | | 7. कार्य पूर्ण होने पर अन्तिम भुगतान (फाईनल बिल, टाईम एक्सटेंशन एवं डेवियेशन)। |
| 3 | जल संसाधन विभाग | 35 | 1. पेन्शन संबंधी प्रकरण |
| | | | 2. अरनेस्ट मनी |
| | | | 3. कार्य पूर्ण होने पर अन्तिम बिल का भुगतान |
| | | | 4. धरोहर राशि |
| | जल संसाधन विभाग एवं इन्दिरा गांधी नहर विभाग | | 5. राजकीय खाले/नहरों पर अतिक्रमण |
| | | | 6. नक्का परिवर्तन |
| | | | 7. दिन रात की बारी में परिवर्तन |
| | | | 8. खिचाई/भराई संबंधित प्रार्थना पत्र |
| | | | 9. दोषपूर्ण मोघे पठन की शिकायत |
| | | | 10 पानी पूरा प्राप्त नहीं होने संबंधी शिकायत |
| | | | 11. पानी की बारी का हस्तान्तरण |
| | | | 12. बून्द–बून्द सिंचाई में बागों को राज्य नीति के अनुसार पानी की स्वीकृति |
| | | | 13. जल उपयोगिता संगमों को<br>(i) सिंचाई शुल्क में 50 प्रतिशत राशि का भुगतान<br>(ii) नहरों में रखरखाव के कार्यो का भुगतान |
| | | | 14. नहर में कटाव संबंधी शिकायतें |
| | | | 15. पानीा चोरी संबंधी शिकायत |
| | | | 16. स्वीकृत कमाण्ड क्षेत्र में पानी की बारी बांधना व पर्ची जारी करना। |
| | | | 17. राजकीय निर्देशानुसार सिंचाई की स्थायी पर्चिया जारी करना |
| | | | 18. नया फील्ड चैनल की स्वीकृति |
| | | | 19 वाटर कोर्स के एलाईमेन्ट में परिवर्तन |
| | | | 20. अतिरिक्त नाका प्रकरण |
| | | | 21. आड स्वीकृति के प्रकरण (भूमि के बंटवारे के कारण) |
| | | | 22. आपसी बटवारे के कारण पानी की बारी में संशोधन। |
| | | | 23. नाकेवार बारी के स्थान पर खातेवार पानी बांधना |
| | | | 24. अवैध सिंचाई के कारण काटा पानी को बहाल करना। |
| | | | 25. लेवल करने के पश्चात् भट्टे का पानी की बारी बांधना |
| | | | 26. 1 चक को 2 चक में विभाजन |
| | | | 27. दो चको को एक चक में सम्मिलित करना |
| | | | 28. एक चक से दूसरे चक में कमाण्ड क्षेत्र का स्थानान्तरण |
| | | | 29. नहर के साथ पेडों के सीमांकन की जानकारी |
| | | | 30. अनकमाण्ड को कमाण्ड से संबंधित प्रकरण |
| | | | 31. एक नहर प्रणाली से दूसरी नहर प्रणाली में भूमि का |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | स्थनान्तरण |
| | | | 32. एक परियोजना से दूसरी परियोजना में कमाण्ड भूमि स्थानान्तरण |
| | | | 33. पीने का पानी सार्वजनिक/धार्मिक के लिए आवंटन |
| | | | 34. स्वीकृत चक प्लान की प्रति |
| | | | 35. चक के हाईड्रोलिक डाटा |
| 4 | सार्वजनिक निर्माण विभाग | 07 | 1. आपूर्ति निविदाओं के मामलों में धरोहर राशि का प्रतिदाय (वापसी) |
| | | | 2. आपूर्ति निविदाओं के मामले में प्रतिभूति निक्षेप (एस. डी.) राशि का प्रतिदाय |
| | | | 3. परिवहन अनुबन्ध से संबंधित मामलों में पी.जी. /प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय |
| | | | 4. साधारण मरम्मत कार्यों की प्रतिभूति निक्षेप राशि का प्रतिदाय |
| | | | 5. नवीन कार्यों/ विशेष मरम्मत कार्यों (लागत रू.10 लाख व कम) के मामलों में प्रतिभूति निक्षेप (एस.डी.) का प्रतिदाय |
| | | | 6. नवीन कार्यों/ विशेष मरम्मत कार्यों (लागत रू.10 लाख से अधिक) के मामलों में प्रतिभूति निक्षेप (एस. डी.) का प्रतिदाय |
| | | | 7. टेलिकॉम केबल, डक्ट आदि डालने के लिए राईट ऑफ वें और/अथवा सड़क काटने की अनुमति प्रदान करना।<br>(1) आवेदन करने के उपरान्त राशि जमा करवाने हेतु तकनीमा देना।<br>(2) राशि मय बैंक गारंटी/अनुबन्ध/वन विभाग की अनापत्ति (जो भी आवश्यक हो) जमा कराने के उपरान्त अनुमति प्रदान करना। |
| 5 | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | 06 | 1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :<br>(1) शहरी क्षेत्र<br>(2) ग्रामीण क्षेत्र |
| | | | 2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :<br>(1) शहरी क्षेत्र<br>(2) ग्रामीण क्षेत्र |
| | | | 3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना :<br>(1) शहरी क्षेत्र<br>(2) ग्रामीण क्षेत्र |
| | | | 4. राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना<br>(1) शहरी क्षेत्र<br>(2) ग्रामीण क्षेत्र |
| | | | 5. राज्य विधवा पेंशन योजना :<br>(1) शहरी क्षेत्र<br>(2) ग्रामीण क्षेत्र |
| | | | 6. राज्य निःशक्त पेंशन योजना :<br>(1) शहरी क्षेत्र<br>(2) ग्रामीण क्षेत्र |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं | 12 | 1. जननी शिशु सुरक्षा योजना (JSSY) अर्न्तगत दिए जाने भुगतान राशि<br>1000/(शहरी)<br>1400/(ग्रामीण) |
| | | | 2. विकलांगता प्रमाण पत्र<br>Visible Disability |
| | | | 3. विकलांगता प्रमाण पत्र<br>Complicated Disability<br>बोर्ड के द्वारा |
| | | | 4. खाद्य अनुज्ञापत्र |
| | | | 5. निमार्ण खाद्य अनुज्ञा पत्र |
| | | | 6. अनुज्ञा पत्र औषधि |
| | | | 7. अनुज्ञा पत्र औषधि निर्माण |
| | | | 8. नसबन्दी करवाने पर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान<br>महिला नसंबदी 600/–<br>पुरूष नसंबदी 1100/– |
| | | | 9. नसबन्दी प्रमाण–पत्र (महिला) |
| | | | 10. नसबन्दी प्रमाण–पत्र (पुरूष) |
| | | | 11. पोस्टमार्टमन रिपोर्ट |
| | | | 12. मेडिकोलीको रिपोर्ट (MLC) |
| 7 | ऊर्जा विभाग | 07 | 1. (I) नये घरेलू, *व्यवासायिक कनेक्शन जारी करना (विद्युतीकृत क्षेत्रों में)<br>(II) विद्युतीकृत संस्थतियों में नये औद्योगिक कनेक्शन जारी करना |
| | | | 2. विद्युत बिल को ठीक करवाना |
| | | | 3. मीटर बदलवाना |
| | | | 4. विद्युत सप्लाई को ठीक करवाना |
| | | | 5. इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सेवाओं से संबधित मामलों में शर्तो के साथ सेवा उपलब्ध कराने का प्रावधान |
| | | | 6. सौर जनरेटर के लिये नियमन 32 के तहत |
| | | | 7. ट्रांसफार्मर उर्जाकरण के लिये नियमन 43 के तहत |
| 8 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलें | 02 | 1. नये राशन कार्ड बनवाने हेतु<br>(1) जिला मुख्यालय का नगर पालिका क्षेत्र<br>(2) शेष नगर पालिका क्षेत्र में<br>(3) ग्रामीण क्षेत्र के लिये<br>(4) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत |
| | | | 2. विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत, विनिर्माता/व्यवहारी/मरम्मतकर्ता का अनुज्ञापत्र तथा पैकर पंजीयन |
| 9 | गृह (पुलिस) विभाग | 04 | 1. सर्विस सत्यापन |
| | | | 2. पासपोर्ट के लिए सत्यापत |
| | | | 3. आर्म्स लाईसेन्स नवीनीकरण के लिए सत्यापन |
| | | | 4. एफ. आई. आर. की प्रति/नकल उपलब्ध करवाना |
| 10 | यातायात विभाग | 04 | 1. लर्निगं लाईसेन्स जारी करना |
| | | | 2. स्थायी ड्राईविंग लाईसेन्स |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 3. डुप्लीकेट लाईसेन्स |
| | | | 4. लााईसेन्स का नवीनीकरण |
| 11. | वित्त विभाग<br>(1) समस्त विभाग<br>(2) पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग<br>(3) कोष एवं लेखा विभाग<br>(4) कोष लेखा विभाग एवं पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग | 10 | 1. सेवा निवृत अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण/समस्याओं का निवारण |
| | | | 2. सेवा में रहते कर्मचारी की/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में परिवार पेंशन एवं उपादान स्वीकृति का प्रकरण तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाना |
| | | | 3. पेंशन एवं उपादान एवं रूपान्तरित पेंशन अधिकृत करना (राज.सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1996–नियम 87) |
| | | | 4. सेवा में रहते कर्मचारी/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के प्रकरण में परिवार पेंशन एवं उपादान की अधिकृति जारी करना |
| | | | 5. पेंशन का प्रथम भुगतान एवं उपादान, रूपान्तरित पेंशन की अधिकृतियों का भुगतान |
| | | | 6. कम्यूटेशन पेंशन का रेस्टोरेशन |
| | | | 7. पेंशन के जीवनकालीन ऐरियर का भुगतान |
| | | | 8. पीपीओ के पेंशनर हॉफ की डुप्लीकेट प्रति जारी करना |
| | | | 9. राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदाय) नियम 1973 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में होटल बार/ क्लब बार लाईसेंस जारी करना |
| | | | 10.राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्तियां प्रदाय) नियम 2004 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में रेस्टोरेन्ट बार लाईसेंस जारी करना |
| 12 | चिकित्सा शिक्षा | 02 | 1. विकलांगता प्रमाण पत्र |
| | | | 2. पोस्टमार्टम रिपोर्ट |
| 13 | नगरीय विकास विभाग | 21 | 1. नाम हस्तान्तरण |
| | | | 2. भूखण्ड का उप विभाजन/ पुनर्गठन |
| | | | 3. दस्तावेज/ मानचित्र की प्रति प्राप्त करना |
| | | | 4. लीज मुक्ति प्रमाण पत्र हेतु |
| | | | 5. योजना का मानचित्र अनुमोदन |
| | | | 6. भवन मानचित्र अनुमोदन |
| | | | 7. सामुदायिक केन्द्र का आरक्षण |
| | | | 8. अमानत राशि का भुगतान |
| | | | 9. धरोहर राशि का भुगतान |
| | | | 10. कब्जा पत्र |
| | | | 11. लीज डीड जारी करना |
| | | | 12. विक्रय अनुमति |
| | | | 13. ले–आउट अनुमोदन पश्चात् पट्टा जारी करना (कृषि भूमि से संबंधित) |
| | | | 14. कच्ची बस्ती नियमन उपरान्त पट्टे जारी करना |
| | | | 15. अनापत्ति प्रमाण पत्र |
| | | | 16. भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | (1) भवन मानचित्र अनुमोदन<br>(2) भूखण्डों का उप विभाजन एवं पुर्नगठन<br>(3) भू–उपयोग परिवर्तन |
| | | | 17. राजस्व अधिनियम 1956 के धारा 90 ए के तहत कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ भू–रूपान्तरण की कार्यवाही |
| | | | 18. लीज डीड जारी करना |
| | | | 19. ले–आउट प्लान अनुमोदन पश्चात पट्टा जारी करना (कृषि भूमि से सम्बन्धित) |
| | | | 20.भवन मानचित्र अनुमोदन पश्चात प्लिन्थ लेवल तक निर्माण के बाद मौका निरीक्षण कर भवन मानचित्र जारी किये जाना |
| | | | 21.कम्पलीशन / ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट |
| 14 | राजस्थान आवासन मण्डल | 23 | 1. वरीयता क्रमांक कार्ड |
| | | | 2. आरक्षण पत्र / पूर्व ग्रहण राशि मांग पत्र |
| | | | 3. आवंटन पत्र |
| | | | 4. मकान का कब्जा पत्र |
| | | | 5. मकान का कब्जा |
| | | | 6. आवंटी / आवेदको को रिफण्ड करना |
| | | | 7. पूर्ण राशि जमा होने पर अदेयता प्रमाण पत्र |
| | | | 8. नीलामी बोली की स्वीकारोक्ति एवं मांग पत्र |
| | | | 9. एकमुश्त लीज पत्र |
| | | | 10. हस्तान्तरण विक्रय परस्पर / नामदर्ज / मृत्यु प्रकरण |
| | | | 11. नियमितिकरण प्रकरण |
| | | | 12. आय वर्ग में परिवर्तन |
| | | | 13. बकाया / शेष राशि की जानकारी हेतु / अन्य राशि मांग |
| | | | 14. ऋण दात्री संस्थाओ को ऋण प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना |
| | | | 15. पता परिवर्तन की सूचना |
| | | | 16. अर्नेस्ट मनी रिफण्ड |
| | | | 17. संवेदकों का पंजीकरण |
| | | | 18. भूमि का मुआवजा नगद राशि में |
| | | | 19. विकसित भूखण्ड |
| | | | 20. आवास पंजीयन |
| | | | 21. भवन निर्माण के नक्शों का अनुमोदन |
| | | | 22. धरोहर राशि (सिक्योरिटी डिपोजिट) लौटाने के प्रकरण |
| | | | 23. मण्डल द्वारा कराये जाने वाले कार्यो के फाईनल बिल, टाईम एक्सटेंशन एवं डेवियेशन की सक्षम स्वीकृति |
| 15 | स्वायत्त शासन / स्थानीय निकाय विभाग | 24 | 1. खाद्य के अतिरिक्त दिये जाने वाले लाईसेन्सों का विवरण |
| | | | 2. अग्नि शमन एवं अन्य सभी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना |
| | | | 3. भवनो के नक्शों की स्वीकृति के संबंध में : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 4. जन स्वास्थ्य संबंधी कार्य |
| | | | 5. अमानत/धरोहर राशि (Earnest Money Security Deposit) का समय पर भुगतान |
| | | | 6. जन्म–मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना :<br>(जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के प्रावधानों के तहत किया जाना कानूनन अनिवार्य है) |
| | | | 7. विवाह पंजीयन एवं प्रमाण पत्र जारी करना |
| | | | 8. नाम हस्तानतरण |
| | | | 9. दस्तावेज/मानचित्र की प्रति प्राप्त करना : |
| | | | 10.लीज मुक्ति प्रमाण पत्र |
| | | | 11. सामुदायिक केन्द्र का आरक्षण |
| | | | 12.नाम हस्तान्तरण। |
| | | | 13.भू–राजस्व अधिनियम की धारा–90ए के तहत् कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण/नियमन/आवंटन। |
| | | | 14.भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही। |
| | | | 15.राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत् ले–आउट प्लान अनुमोदन। |
| | | | 16.उप–विभाजन व पुर्नगठन |
| | | | 17.लीजडीड/ पट्टा जारी किया जाना। |
| | | | 18.भवन मानचित्र अनुमोदन (यदि आवश्यक हो तो)<br>भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 व.मी. तक (आवासीय)<br>भूखण्ड का क्षेत्रफल 225 व.मी. तक (व्यावसायिक)<br>भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 व.मी. तक (औद्योगिक)<br>भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से कम (समस्त उपयोग)<br>भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से अधिक (समस्त उपयोग) |
| | | | 19.ट्रेड लाईसेंस जारी किया जाना। |
| | | | 20.अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र। |
| | | | 21.पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र जारी करना।<br>• प्लिन्थ लेवल तक निर्माण के बाद मौका निरीक्षण कर भवन मानचित्र जारी किये जाना<br>• कम्पलीशन/ ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट |
| | | | 22.लीज राशि जमा एवं लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना। |
| | | | 23.नगरीय विकास कर जमा कराना। |
| | | | 24.सीवर कनेक्शन जारी करना। |
| 16 | अल्प संख्यक मामलात विभाग<br>)अधिसूचना दिनांक 09.05.2012( | 02 | 1. अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र |
| | | | 2. नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटी एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स् एक्ट, 2004 के अधीन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रमाण पत्र जारी करना |
| 17 | पंचायती राज विभाग<br>)अधिसूचना दिनांक | 02 | 1. प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवासीय भूमि का पट्टा जारी करना |
| | | | 2. पूर्व में जारी पट्टे की नकल जारी करना |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 07.06.2012( | | |
| 18 | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम )अधिसूचना दिनांक 27.06.2012( | 01 | 1. राजस्थान मूल के विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को राजस्थान सरकार के निर्देश/ अनुमोदन अनुसार देय निः शुल्क/ रियायती यात्रा सुविधाओं के लिए परिचय पत्र जारी करने एवं उनका नवीनीकरण करने |
| 19 | राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (अधिसूचना दिनांक 10.10.2016) | 13 | 1. बीमा ऋण |
| | | | 2. बीमा स्वत्व |
| | | | 3. बीमा पॉलिसी जारी करना |
| | | | 4. जीपीएफ पासबुक एवं बीमा रेकार्ड बुक का सत्यापन |
| | | | 5. जीपीएफ अंतिम आहरण |
| | | | 6. जीपीएफ स्वत्व |
| | | | 7. बीमा/जीपीएफ खाता स्थानान्तरण |
| | | | 8. अधिक जोखिम वहन करना |
| | | | 9. साधारण बीमा योजना दावा |
| | | | 10. विधार्थी दुर्घटना बीमा योजना दावा |
| | | | 11. समुह दुर्घटना बीमा योजना दावा |
| | | | 12. मेडिक्लेम |
| | | | 13. प्रान जारी करना |
| 20 | पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर (अधिसूचना दिनांक 08.08.2017) | 1 | 1. दस्तावेज पंजीयन |
| 21 | उद्योग विभाग (अधिसूचना दिनांक 18.10.2017, 30.10. 2017) | 3 | 1.भागीदारी फर्म पंजीयन |
| | | | 2.**(i)** राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी एवं भू–रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत छूट की स्वीकृति–<br>(अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज।<br>(ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज<br>**(ii)** राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 के अन्तर्गत विद्युत कर, मण्डी शुल्क एवं भू–कर में 50 प्रतिशत छूट की स्वीकृति–<br>(अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज।<br>(ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज<br>**(iii)** राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 के अन्तर्गत निवेश अनुदान एवं रोजगार सृजन अनुदान की स्वीकृति<br>(अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज।<br>(ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज<br>**(iv)** राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 के |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | अन्तर्गत टैक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग एवं आई.टी. सैक्टर में ब्याज अनुदान की स्वीकृति<br>(अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज।<br>(ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज<br>**(v)** राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 के अन्तर्गत टैक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग एवं आई.टी. सैक्टर में ब्याज अनुदान का वितरण<br>**(vi)** राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 के अन्तर्गत निवेश अनुदान एवं रोजगार सृजन अनुदान का वितरण |
| | | | 3. **(i)** भूमि आवंटन के लिये<br>अ. लाटरी के तहत<br>ब.पहले आओ पहले पाओ के तहत<br>सं. पसंद के अनुसार<br>**(ii)** जल कनेक्शन हेतु<br>**(iii)** भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु<br>**(iv)** अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु (औद्योगिक भवनों हेतु) |
| 22 | श्रम विभाग<br>(अधिसूचना दिनांक 18.10.2017) | 9 | 1.राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान का अधिनियम, 1958 के तहत संस्थानो का पंजीयन एवं नवीनीकरण |
| | | | 2.ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970(ठेकेदार) के तहत लाईसेन्स |
| | | | 3.ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970(प्रधान नियोक्ता) के तहत पंजीयन |
| | | | 4.भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम, 1996 के तहत संस्थानो का पंजीयन |
| | | | 5.श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के तहत पंजीयन |
| | | | 6.बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के तहत संस्थानो का पंजीयन एवं नवीनीकरण |
| | | | 7.मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 के तहत संस्थानो का पंजीयन एवं नवीनीकरण |
| | | | 8.केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शतें) अधिनियम, 1979 (ठेकेदार) के तहत लाइसेन्स एवं नवीनीकरण |
| | | | 9.केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शतें) अधिनियम, 1979 (प्रधान नियोक्ता) के तहत पंजीयन |
| 23 | कारखाना एवं बायलर्स विभाग<br>(अधिसूचना दिनांक 18.10.2017) | 8 | 1.कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखाने के रूप में किसी भवन के निर्माण/विस्तार/ अथवा उपयोग में लिये जाने हेतु स्वीकृति व नक्शे अनुमोदन |
| | | | 2.कारखाने का पंजियन–कारखाना अधिनियम, 1948 |
| | | | 3.कारखाने का नवीनीकरण – कारखाना अधिनियम, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 1948 |
| | | | 4.बॉयलर का नवीनीकरण – बॉयलर अधिनियम, 1923 |
| | | | 5.बॉयलर का पंजियन – बॉयलर अधिनियम, 1923 |
| | | | 6.कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखानों का निरीक्षण |
| | | | 7.बॉयलर एक्ट, 1923 के तहत बॉयलर निर्माता, बॉयलर विनिर्माण और मरम्मत, मरम्मतकर्ता / ईरेक्टर (Erector), वेल्डर और विभिन्न गतिविधियों के लिए स्वीकृति / अनुमोदन – भारतीय बॉयलर विनियमन, 1950 के नियम |
| | | | 8.प्रशिक्षण संस्थान का अनुमोदन और राजफ़ैब वेब पोर्टल के माध्यम से पेपरलेस सेवाओं के तहत अन्य अनुमोदन |
| 24 | सहकारिता विभाग (अधिसूचना दिनांक 30.10.2017) | 4 | 1.सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत सोसाईटी का पंजीकरण करना |
| | | | 2.राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत प्राथमिक सहकारी समितियों का पंजीकरण करना। |
| | | | 3.राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी समितियों का पंजीकरण करना। |
| | | | 4.राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत शीर्ष सहकारी समितियों का पंजीकरण करना। |
| 25 | राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (अधिसूचना दिनांक 30.10.2017) | 5 | 1.जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत स्थापना हेतु सम्मति |
| | | | 2.जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत संचालन हेतु सम्मति |
| | | | 3.वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत स्थापना हेतु सम्मति |
| | | | 4.वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत संचालन हेतु सम्मति |
| | | | 5.परिसकंटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं पारगमन) नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार |
| | **योग** | **221** | |